मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 1994 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 24 फरवरी, 1994 (फाल्गुन 5, 1915)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन का उल्लेख

श्री ऋषभ कुमार जैन, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा के निधन का उल्लेख.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री बी.आर. यादव, खनिज साधन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड की 31 वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1992-93 पटल पर रखेंगे.

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, होशंगाबाद जिले में तवा डेम के डूब की जमीन से आदिवासियों की फसलें काटी जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी न होने की ओर उपमुख्य मंत्री (सहकारिता) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

5. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री जसवन्त सिंह, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है."

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य -

(क) जिला भिण्ड, ग्राम रामपुरा, तहसील लहार में पहुंच मार्ग पूर्ण कराये जाने,
(ख) जिला भिण्ड, ग्राम अधियारी नं. 2, तहसील लहार में विद्युत व्यवस्था पूर्ण करने,
(ग) जिला भिण्ड, ग्राम मुरावली, तहसील लहार में शासकीय ट्यूबवेल सिंचाई हेतु लगवाये जाने, तथा
(घ) जिला भिण्ड, ग्राम पृथ्वीपुरा, तहसील लहार में नाली व खरन्जा निर्माण करने,

(2) श्री बच्चन नायक, सदस्य, विकासखंड बडवारा, जिला जबलपुर के अंतर्गत ग्राम बसाड़ी (बरही रोड़) में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने,

(3) श्री माधव सिंह ध्रुव, सदस्य -

(क) जिला-रायपुर, तहसील धमतरी, पंचायत सोनछरी, विकासखण्ड मगर लोड, तहसील धमतरी से हटाकर विकासखण्ड नगरी, तहसील नगरी, जिला रायपुर में जोड़ने, तथा
(ख) जिला रायपुर, तहसील धमतरी, पंचायत-मदवा पथरा ग्राम कसावाही गादा घाट नाला पर पुल निर्माण करने,

(4) श्री कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य -

(क) ग्राम जहरी, तहसील ब्यौहारी, जिला शहडोल में सूरजगढ़ गांव में फॉरेस्ट चौकी स्थापित करने, तथा
(ख) ग्राम जहरी, तहसील ब्यौहारी, जिला शहडोल में पशु औषधालय खोलने,

(5) श्री ओंकार प्रसाद तिवारी, सदस्य -

(क) जबलपुर में नवभारत प्रेस के निकट स्थित पुल को बड़ा करने, तथा
(ख) जबलपुर के गोपाल बाग (उपरैन गंज वार्ड) में तलैया की सफाई एवं मरम्मत कराये जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री, सिविल प्रक्रिया संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 1994 (क्रमांक 2 सन् 1994) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1994 (क्रमांक 3 सन् 1994) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) श्री मुकेश नायक, राज्य मंत्री उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग (निरसन) विधेयक, 1994 (क्रमांक 4 सन् 1994) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(4) श्री प्यारे लाल कंवर, उपमुख्य मंत्री, मध्यप्रदेश गंगाजली निधि न्यास (संशोधन) विधेयक, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1994) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(5) श्री सुभाष यादव, उपमुख्य मंत्री, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 1994 (क्रमांक 6 सन् 1994) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित समय — 2 घन्टे

(6) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग विधेयक, 1994 (क्रमांक 1 सन् 1994) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

8. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घन्टा 30 मि. — भोपाल गैस कांड में पीड़ितों के राहत, पुनर्वास तथा लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण कराये जाने के संबंध में श्री बाबूलाल गौर, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

भोपाल :
दिनांक : 23 फरवरी, 1994

शीला खन्ना
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा